गोपी लाल बनाम भोपाल
जापू
16/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	२५/५/२५	पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित। वाद अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं होना ही वादी द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 19/1/2023 की पालना में जप्त रसीद पावति जारी होने के बाद भी अतः वादी का वाद Order CPC में खारिज किया जाता है पत्रावली मिसल शुमार होकर इजलास से नामंजूर वाद मय फैसल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)